न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS

पत्रावली संख्या : **42/14 (विविध)**

GCMS No. : 2014/00173

अनवान्

1. श्री नानुराम पिता खिमराम भील निवासी तलावरी तह. कुम्भलगढ जिला राजसमन्द।

.............प्रार्थी

बनाम

1. श्री कालुलाल पिता भेरा भील निवासी मावली तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

...................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री विष्णु पाण्डेय, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक 25.01.2021

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 131 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कालाखेत पटवार हल्का मावी की आराजी नम्बर 3616 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात राजस्व रेकार्ड में 60/70 वां हक व हिस्सा मुझ प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है तथा विपक्षी सं. 1 का 10/70 वां हक व हिस्सा खातेदारी हक से दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 साथ संलग्न हैं। उक्त वर्णित हिस्सेनुसार प्रार्थी अपने हिस्सा भूमि पर काबिज हो काश्त कर रहा हैं।
2. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी संख्या 3616 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि सेटलमेन्ट सन् 1966 के राजस्व नक्शें में दर्ज होकर उक्त आराजी का राजस्व नक्शें में सीमांकन किया हुआ है पटवारी हल्का मावली से दिनांक 03.06.2014 को नक्शें की प्रति लेने पर ज्ञात हुआ कि नक्शा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी के अनुरूप नहीं किया जाकर नक्शें में राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी के मुकाबले राजस्व नक्शें मे कम अंकित कर दी गई है। जबकि उक्त आराजी संख्या 3616 से सटमा विपक्षी सं. 1 की खातेदारी कृषि भूमि आराजी संख्या 4147/3619 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा (राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 साथ संलग्न हैं) राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी के मुकाबले राजस्व नक्शें में कहीं आराजी के रकबे के मुकाबले नक्शें में एक बीघा ज्यादा अंकित कर रखी है अर्थात् आराजी संख्या 3616 का रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा होकर नक्शें में 2 बीघा 10

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.29 16:38:15 IST
Reason: SelfAttested

बिस्वा प्रदर्शित कर रखा है जबकि आराजी संख्या 4147/3619 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा को राजस्व नक्शें में 4 बीघा 10 बिस्वा प्रदर्शित कर रखा हैं।

3. यह कि मुझ प्रार्थी को वर्तमान राजस्व नक्शा प्राप्त करने के पश्चात् मेरी उक्त आराजी के सीमांकन सही नहीं होने की बात पटवारी हल्का मावली को बतायी तो पटवारी हल्का मावली ने बताया कि आराजीयात के नक्शें में सीमांकन कराने हेतु एस.डी.ओ. साहब से आदेश लाना पडेगा, तभी नक्शें में सीमांकन हो सकता है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र आप माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया हैं।
4. यह कि प्रार्थी को अपनी आराजी में सीमांकन सही नहीं होने की जानकारी दिनांक 03.06.2014 को हुई जब खाते की नकल न नक्शा ट्रेस की प्रति प्राप्त की और जानकारी होते ही दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा हैं।
5. यह कि विपक्षी सं. 1 उक्त कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का सहखातेदार है जिसके व मुझ प्रार्थी के मध्य मौके पर नक्शें अनुसार जमीन कम होने से दिनांक 04.06.2014 को विवाद उत्पन्न हुआ जिसके पश्चात् मैने पटवारी से मिलकर जानकारी ली तथा विपक्षी सं. 1 ने मिलकर सहमति से नक्शें में सुधार करने से इन्कार कर दिया इसलिए प्रार्थी को आप माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड रहा हैं।
6. अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी संख्या 3616 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा होकर नक्शें में 2 बीघा 10 बिस्वा प्रदर्शित कर रखा है जबकि आराजी संख्या 4147/3619 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा को राजस्व नक्शें में 4 बीघा 10 बिस्वा प्रदर्शित कर रखा है उक्त गलत सीमांकन को राजस्व नक्शें में दुरूस्त अंकन कराये जाने का उचित आदेश फरमाया जावें।
7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में तहसीलदार मावली से बिन्दुवार मौका रिपोर्ट मंगवाई गई।
8. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 व राजपेरोकार द्वारा प्रकरण को मेरिट पर निस्तारित किया जाने का निवेदन किया।
9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 31.12.2019 का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को राजस्व नक्शें में दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.29 16:38:15 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौजा कालाखेत की आराजी नम्बर 3616 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा होकर नक्शें में 2 बीघा 10 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 4147/3619 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा होकर नक्शें में 4 बीघा 10 बिस्वा प्रदर्शित होना बताया हैं। तहसीलदार द्वारा आराजी नम्बर 3616 में भूमि बढाई जाने एवं आराजी नम्बर 4147/3619 में से घटाई जाने हेतु रिपोर्ट पेश कर मौके पर आराजी नम्बरों का रकबे अनुसार ही कब्जा होना बताया हैं। नक्शें में त्रुटि सेटलमेन्ट के दौरान होने का कथन किया हैं। दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 3616 का जमाबन्दी में रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा अंकित हैं जबकि नक्शें में 2 बीघा 10 बिस्वा दर्शा रखा हैं। चूंकि सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थी का रकबा आराजी नम्बर 4147/3619 के नक्शें में प्रदर्शित कर दिया गया था। पक्षकारों का कब्जा राजस्व रेकार्ड में आराजीयात के रकबे के बराबर ही होना जाहिर हुआ हैं। प्रार्थी द्वारा भूमि का कब्जे अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाने का निवेदन किया हैं। मौके पर प्रार्थी व विपक्षी अपने आराजीयात के रकबे अनुसार काबिज है एवं कब्जे के आधार पर तरमीम हेतु कोई एतराज नहीं किया है। अतः राजस्व नक्शे में तरमीम गलत होने से आराजीयात के रकबे के आधार पर राजस्व नक्शे में तरमीम कराने के अधिकारी हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कालाखेत पटवार हल्का मावली की आ.न. 3616 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि को प्रार्थी के आराजीयात के रकबे के आधार पर तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत प्रस्तावित लाल स्याही से दर्शित राजस्व नक्शे अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.29 16:38:15 IST
Reason: SelfAttested